बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र० / ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 ________ पटना, दिनांक ________________

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 3394.10 करोड़ रूपये की अनुमोदित स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 3394.10 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (रूपये 339.41 करोड़) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलबध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति के आलोक में राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 75 करोड़ रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

कृषि कार्य हेतु कृषि फीडर एवं गैर कृषि फीडर के अलग होने से 24 X 7 विद्युत उपलबधता को सुनिश्ति किया जा सकता है साथ हीं निर्धारित अवधि के लिए कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्ति की जा सकती है।

2 इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः बडी संख्या में शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को अलग करना, वितरण एवं उप–संचरण का सुदृढ़ीकरण एंव विस्तारीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा मीटरीकरण का कार्य करने की योजना है।

3 केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 3411.07 करोड रूपये (परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क सहित) है। जिसमें राज्य की हिस्सा पूँजी 339.41 करोड़ रूपये होगा।

4 अनुमोदित मार्गदशिका के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान एंव राज्य सरकार / वितरण कम्पनियों का योगदान निम्नवत होगा :–

Sl No.	Agency	Nature of Support	Quantum of support (Percentage of project cost)	Quantum of support (As per approved Project Cost) Rs in Cr.
1	Govt. of India	Grant	60%	2036.46
2	State/ DISCOM contribution	Own Fund	10%	339.41
3	Lender (REC/FIs/Banks)	Loan	30%	1018.23
	Sub Total			**3394.10**
4	Fund for appointment of PMA (GOI)	Grant	0.5% of total project cost (3394.10)	16.97
	Total			3411.07

5 राज्यदेश संख्या– 2455, दिनांक– 23.08.2015 से राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जयोति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण वितरण एवं संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेुत नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 3394.10 करोड रूपये की अनुमोदित योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 3394.10 करोड़ रूप्ये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलबध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड़ के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूॅजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 75 करोड़ रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6 यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूॅंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग संख्या– 10 उपशीर्ष –0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना विपत्र कोड– P4801051900107 विषय शीर्ष– 54 01 निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7 इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से किया जायेगा।

8 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9 उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/ऊर्जा –DDUGJY 03/2015 के पृष्ठ संख्या– 07/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10 राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 के पृष्ठ संख्या– 17/टि० पर दिनांक– 11.01.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः– प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 __________ दिनांक __________

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः– प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 160 दिनांक 24/01/2017

प्रतिलिपिः– बजट शाखा, वित्त विभाग, /बजट शाखा/लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/उप महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

E:\vipul\2017\Assistant Work\प्र भी क 10-01-2017 DDUGJY

10